

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(3)

पत्रांक : 03/प्र030(त030)/जोन-5/प्रस्ता0/2015-16 दिनांक 09/09/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति ल030 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उरा भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फन के नालियाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के गिल्कियत या स्वागित्य के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री देवराज शर्मा पुत्र श्री जयमंगल शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या-GA-10 त्रिदेवीपुरम्, हजरसिंग रकीम सेक्टर गंगा राईम-A-1 औरी इलाहाबाद जोन संख्या (5) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के कम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. ल030 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुकूल पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/उपयोग किया जायेगा, नवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.3 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रविधा पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तान (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 01 अक्षर वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बंध से अनपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करना होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्तान होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वागित्य का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वागित्य सम्बन्धी कोई भी विवाद राजन न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. विभिन्न समय पर जारी शासनदेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आसंपित करता है तो उरा पत्र को जमा करना होगा।
8. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष को अयधि के लिए है।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग भाग, गृष्ट भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उरा अपने खर्चे से गरमत कराकर पूर्ववत् अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजिडियन इलेक्ट्रिसिटी क्त्या 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो यह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान को नौध तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उरा आवामी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण ने मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में भारत प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अन्धेकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Shivji Sharma


8-9-2015

8896985717

(मुकुर श्रीवास्तव)


विशेष कार्यधिकारी

ACSA



SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT

| | | |
|-----------|----|-----------|
| DOOR | D | 1000x2400 |
| 2. DOOR | D1 | 950x2100 |
| DOOR | D2 | 750x2100 |
| WINDOW | W1 | 1500x1650 |
| WINDOW | W2 | 1200x1650 |
| 6. WINDOW | W3 | 1000x1650 |
| 7. WINDOW | W4 | 900x1650 |
| 8. VENT. | V | 750x600 |



AREA DETAIL :-

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TOTAL AREA OF PLOT | = 34.50 SQ. M |
| PROP. COVD. AREA ON GROUND FLOOR | = 18.25 " |
| PROP. COVD. AREA ON FIRST FLOOR | = 18.25 " |
| PROP. COVD. AREA ON SECOND FLOOR | = 18.25 " |
| OPEN AREA | = 18.25 " |
| EMPTY AREA | = 14.00 " |
| Prop. Area on Soil | = 18.25 |
| GROUND COVERAGE | = 50.0% |
| F.A.S. | = 120 |

THIS IS TO CERTIFY THAT THIS PLAN IS ACCORDING TO BUILDING BY LAWS AND ALLAHABAD MASTER PLAN 2021

NORTH

SCALE: 1:100

PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PLOT NO.-GA-10, AT TRIVANIPURAM HOUSING SCHEME, SECTOR - GANGA, TYPE-A/JHUNSHI, ALLAHABAD.

OWNER - SRI. DEVIKA SHARMA
S/O - SRI. JAI MANGAL SHARMA

SIG. OWNER

En. Anand Kumar Singhania
12/11, Anandpur, Kanpur
170017, U.P.
A-541012-0
Mob: 94 5300 7157